**बिहार सरकार**

**ग्रामीण विकास विभाग**

पत्रांक- 402984 पटना, दिनांक- 26-12-2018

ग्रा0वि0-07(आं0)-51/2013 (पार्ट-।)

प्रेषक,

**अरविन्द कुमार चौधरी,**
सचिव ।

सेवा में,

**सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

**विषय:-** **महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,अंतर्गत T+8 को समय सीमा में कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा FTO स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ।**

प्रसंग:- विभागीय अधिसूचना संख्या-328228 दिनांक-14.09.2017

महाशय,

महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार, कामगार साप्ताहिक आधार पर मजदूरी भुगतान पाने और किसी भी परिस्थिति में मस्टर रोल के बंद होने की तारीख के पंद्रह दिनों के अंदर भुगतान पाने के हकदार हैं । यदि मस्टर रोल बंद होने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची-II के पारा 29 के अनुसार मजदूरी प्राप्तकर्ता मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद के विलंब के लिए भुगतान न की गई मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05% की दर से विलंब के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए हकदार है ।उपरोक्त प्रावधान को सफलतापूर्वक राज्य में लागू करने हेतु प्रासंगिक विभागीय अधिसूचना द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बिहार विलंब से मजदूरी भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति भुगतान नियमावली, 2017 जारी किया गया है ताकि मनरेगा अंतर्गत अकुशल मजदूरी का ससमय भुगतान संभव हो सके ।

इस क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक-18.05.2018 को Writ Petition (C) No.-857 of 2015 (Swaraj Abhiyan Vs Union of India & Ors.) द्वारा पारित आदेशानुसार, मनरेगा अधिनियम की धारा 3(3) के प्रावधान के आलोक में मस्टर रॉल के बंद होने की तारीख के 15 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान संबंधित मजदूर के खाते में अंतरित हो जाना चाहिए । उक्त आदेश के आलोक में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15 दिनों की समयसीमा के अंदर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने हेतु भुगतान की समयावधि को दो भागों में Stage-I एवं Stage-II में बॉटा गया है । Stage-I अंतर्गत ससमय मजदूरी भुगतान की सुनिश्चित करने की जबावदेही मनरेगा के पदाधिकारियों / कर्मियों की होगी, जिसमें

pathakji- letter-91 Rks

भुगतान प्रक्रिया को T+8 दिनों में पूरा कर लिया जाना है । Stage-II अंतर्गत ससमय मजदूरी भुगतान की जबावदेही भारत सरकार / भुगतान एजेंसी की होगी ।

उपरोक्त के आलोक में मनरेगा अंतर्गत अकुशल मजदूरी भुगतान हेतु Stage-I की प्रक्रिया को T+8 दिनों में पूरा करने के लिए निम्न निदेश दिए जाते है :-

1. यह सुनिश्चित किया जाए कि कामगारों को मस्टर रोल बंद होने (T) के 8 दिनों के अन्दर मजदूरी भुगतान हेतु Stage-I की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए ।
2. मजदूरी भुगतान में जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा विभिन्न पदाधिकारियों / कर्मियों की अभियोज्यता की गणना हेतु उन्हें सौंपे गए गतिविधि को पूरा करने के लिए अनुज्ञेय दिनों की संख्या निम्नवत् होगी :-

| क्र. सं. | गतिविधि का नाम | पदाधिकारी / कर्मी का नाम / पदनाम | गतिविधि को पूर्ण करने के लिए अनुमत दिवस |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (1) | eMB में कार्य की मापी एवं माप पुस्तिका में इसे प्रविष्ट करना | पंचायत तकनीकी सहायक (पी0टी0ए0) / समकक्ष | T + 2 days |
| (2) | eMB में कार्य की मापी एवं माप पुस्तिका में की गयी प्रविष्टि का सत्यापन एवं जॉच | कनीय अभियंता (जे0ई0) या सहायक अभियंता (ए0ई0) (जैसी स्थिति हो) | T + 3 days |
| (3) | eMB में कार्य की मापी एवं माप पुस्तिका में की गयी प्रविष्टि का सत्यापन एवं जॉच | सहायक अभियंता (ए0ई0) / कार्यपालक अभियंता (ई0ई0) (जैसी स्थिति हो) | T + 4 days |
| (4) | eMR एवं eMB / MB कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रस्तुत करना | पंचायत रोजगार सेवक (पी0आर0एस0) | T + 5 days |
| (5) | ई मस्टर रोल एवं eMB को MIS पर अपडेट करना तथा वेज लिस्ट निर्गत करना तथा भुगतान के लिए भेजना | लेखापाल / कंप्यूटर ऑपरेटर / समकक्ष | T + 6 days |

| क्र. सं. | गतिविधि का नाम | पदाधिकारी / कर्मी का नाम / पदनाम | गतिविधि को पूर्ण करने के लिए अनुमत दिवस |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (6) | फण्ड ट्रान्सफर आर्डर (FTO) generate करना तथा हस्ताक्षर करना (1st Signatory) | मनरेगा लेखापाल / समकक्ष | T + 7 days |
| (7) | भुगतान के लिए फण्ड ट्रान्सफर आर्डर (FTO ) स्वीकृत करना (2nd Signatory) | कार्यक्रम पदाधिकारी (PO) | T + 8 days |
| नोट : "T" से अभिप्रेत है, मस्टर रोल बंद होने की तारीख । | | | |

3. उपर्युक्त गतिविधि को पूर्ण करने के लिए यह अधिकतम सीमा होगी । अनुज्ञेय दिनों की संख्या से पूर्व सभी गतिविधि पूर्ण करना श्रेयस्कर होगा ।
4. नरेगा सॉफ्ट की रिपोर्ट R14.5 से प्रखंडवार T+8 दिवसों में भुगतान के Transactions / Amount के आधार पर T+8 दिवसों में भुगतान का प्रतिशत एवं रिपोर्ट R14.4 से T+8 दिवसों में FTO Pendency का प्रतिदिन अनुश्रवण करने से समय पर भुगतान प्रतिशत में सुधार सुनिश्चित किया जा सकता है ।

शेष प्रावधान यथावत रहेगें ।

विश्वासभाजन,

21/12/18

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सचिव

Rks

pathakji- letter-91